

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072024-255048 CG-DL-E-01072024-255048

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2382] No. 2382]

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946 NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946

## आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2024

का.आ. 2511(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 3 और 4 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 (1985 का 2) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हेतु छोड़े गए कार्यों के अलावा, पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का निम्नवत पुनर्गठन करती है:-

1.	केन्द्रीय मंत्री,आवासन और शहरी कार्य	अध्यक्ष
2.	मुख्य मंत्री, हरियाणा	सदस्य
3.	मुख्य मंत्री, राजस्थान	सदस्य
4.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सदस्य
6.	मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सदस्य
7.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

9.	मंत्री प्रभारी, नगर और ग्राम नियोजन	
	विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
10.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
11.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
12.	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
14.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
15.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
16.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	सदस्य
17.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

## सहयोजित सदस्य

- 1. सचिव-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- 2. मुख्य नियोजक टीसीपीओ, भारत सरकार

[फा. सं. के-11019/3/2012-डीडीVI] अलका शर्मा, अवर सचिव